न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 39 / 2014

सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी, जिला अजमेर

.....*प्रार्थी*

बनाम

श्री द्वारका प्रसाद पुत्र श्री रामनारायण जाति जाट निवासी ग्राम कालेड़ा कृष्ण गोपाल, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

.....**अप्रार्थी**

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :– **1.** श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।
2. श्री शंकर लाल चौधरी वकील अप्रार्थी की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक 04.01.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 15.01.2013 को ग्राम पंचायत कालेड़ा कृष्ण गोपाल में आयोजित प्रशासन गांव के संग कैम्प में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर श्री द्वारका प्रसाद पुत्र श्री रामनारायण जाति जाट निवासी ग्राम कालेड़ा कृष्ण गोपाल, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर। के पक्ष में ग्राम कालेड़ा कृष्ण गोपाल स्थित सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1030 रकबा 0.53 हैक्टर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि मौके पर विवादित भूमि अजमेर कोटा मार्ग पर स्थित है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी के नाम नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये वकील उपस्थित हुए तथा जवाब नोटिस पेश किया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी के पक्ष में आवंटित भूमि अजमेर कोटा मार्ग पर स्थित है जो राजस्व नक्शे से स्पष्ट है तथा सड़क के मध्य बिन्दु से 50 वर्गगज तक भूमि का किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता है। विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित है। पैरोकार सरकार का यह भी कथन है कि नियम 4(V)(च) के अनुसार भूमि आवंटन बाबत् कच्ची/पक्की सड़क के मध्य बिन्दु से 50 गज छोड़ते हुए

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

कार्यवाही करनी चाहिये। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि पुनः सिवायचक दर्ज की जावे अथवा सड़क के मध्य बिन्दु से 50 गज भूमि को छोड़कर शेष भूमि का आंवटन किया जावे। उक्तानुसार कार्यवाही हेतु तहसीलदार केकड़ी को आदेशित किया जाना उचित होगा।

लायक पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में विद्वान वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थना पत्र में अकिंत समस्त कथन झूठे एवं मनगढन्त है। उनका कथन है कि विवादित भूमि का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर विधिक प्रक्रिया पश्चात् कमेटी का कोरम पूर्ण होने पर उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा किया गया है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान R.R.T 2006(2) पेज 1171 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए आगे कथन किया कि एक ओर तो सरकार द्वारा समस्त तथ्यों की जांच पश्चात् भूमि आवंटित की गई है, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा आवंटन निरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। वरवक्त आवंटन कमेटी ने प्रार्थी स्वयं सदस्य के रूप में उपस्थित थे तथा अप्रार्थी के पक्ष में आवंटन हेतु अपनी सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये थे, अब उन्हीं के द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र साईक्लोस्टाईल है जिसमें केवल मात्र रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है तथा शपथ पत्र भी तस्दीकशुदा नहीं है जो प्रार्थना पत्र की श्रेणी में परिभाषित नहीं किया जा सकता। वकील अप्रार्थीगण ने आगे कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा किस अधिकारी के आदेश से मौका पर्चा तैयार किया गया है जो स्पष्ट नहीं है तथा मौका निरीक्षण से पूर्व अप्रार्थी को नोटिस भी नहीं दिया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है, स्पष्ट नहीं है जबकि राजस्व रेकार्ड में भूमि किस्म बारानी 2 काबिलकाश्त दर्ज होना स्पष्ट है जो किसी भी प्रकार से आवंटन नियमों के उल्लघंन की श्रेणी में नहीं आता है। आवंटन नियमों में विशेष प्रावधान किया गया है कि किस प्रकार की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। भूमि का प्रकार और वर्गीकरण राजस्व रेकार्ड में अंकन के आधार पर ही किया जा सकता है। विवादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में बारानी 2 काबिलकाश्त दर्ज है जो कृषि कार्य हेतु उपलब्ध थी किन्तु अब प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत करना कि विवादित भूमि अजमेर कोटा मार्ग पर स्थित होने से आवंटन निरस्त किया जावें जो न्यायोचित नहीं है। बल्कि विवादित भूमि पुराने केकड़ी देवली रोड़ से अन्दर की ओर स्थित है। उन्होंने आगे कथन किया कि नियम 14(4) के अन्तर्गत केवल ऐसे आवंटन को निरस्त करवाया जा सकता है जो छल, कपटपूर्वक, तथ्यों को छिपाकर करवाया गया हो। उन्होंने अब हमारा ध्यान आर.आर.टी. 2007(2) पेज 1433 व आर.आर.टी 2011 पेज 1144 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

आकर्षित करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र में केवल मात्र यह अंकित कर देने से कि विवादित भूमि अजमेर कोटा मार्ग पर स्थित है, से आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। माननीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार केकड़ी से पुनः विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट चाहे जाने पर तहसीलदार केकड़ी द्वारा अपने पत्र दिनांक 05.11.2016 से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट विवादित खसरा नम्बर पुराने कोटा रोड़ अर्थात् वर्तमान एम.डी.आर. (मुख्य जिला मार्ग) से उत्तर पूर्व दिशा में सड़क के मध्य बिन्दु से उत्तरी मेड़ 22 मीटर व दक्षिणी मेड़ 12 मीटर की दूरी पर होना अंकित किया है। इस प्रकार भी विवादित भूमि सड़क मार्ग के मध्य बिन्दु से लगभग 69 गज की दूरी पर स्थित है जो 50 यार्ड से अधिक है। उनका यह भी कथन है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रशासन गावों के संग अभियान 2013 के अन्तर्गत आयोजित शिविर में अप्रार्थी सहित कुल 11 व्यक्तियों के पक्ष में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन किया गया था जिनमें से केवल मात्र अप्रार्थी के पक्ष में हुए आवंटन को निरस्त करवाने हेतु तहसीलदार केकड़ी द्वारा बदनीयती पूर्वक यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी ही भूमि तहसीलदार केकड़ी/उपखण्ड अधिकारी केकड़ी ने 10 अन्य व्यक्तियों को भी आवंटित की है, उन्हीं बिन्दुओं को जिन्हें हमारे लिये आधार बनाकर 14(4) में आवंटन खारिज करने हेतु इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया है, तो 10 अन्य के विरूद्व भी 14(4) में खारिज हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। वकील अप्रार्थी ने आगे कथन किया कि जबकि ऐसे आधारहीन एवं बेबुनियाद प्रार्थना पत्र को यदि संबंधित जिला कलक्टर द्वारा स्वीकार कर आवंटन निरस्त कर दिया गया हो तो भी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दोनों अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त कर अपीलान्ट के पक्ष में किया गया भूमि का आवंटन बहाल रखा गया है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान आर0आर0टी0 2009(1) पेज 238, आर0आर0टी0 2014(2) पेज 759, आर0आर0टी0 2011–12(SUP) पेज 99 व आर0आर0टी0 2007(1) पेज 397 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प0–9(11) राज/6/12 दिनांक 05–12–2012 द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 के अन्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यो की सूचि के क्रम संख्या 3 एवं श्रीमान् जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 14.02.2013 के अनुसरण में किया गया है। अन्त में कथन किया कि आवंटी एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है जिन्हें बमुश्किल विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर आवंटी के नाम विवादित भूमि को राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

विवादित भूमि का नियमन पूर्णतया नियमानुसार किया गया है। रेकार्ड पर ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अप्रार्थी द्वारा तथ्यों को छिपा कर विवादित भूमि का आवंटन करवाया गया हो। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्वयं तहसीलदार केकड़ी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि पर फसल काश्त की जा रही है। हम वकील अप्रार्थी के इन कथनों से सहमत है कि प्रार्थी वरवक्त आवंटन कमेटी के सदस्य थे तथा उन्हीं की अनुषंशा पर अप्रार्थी के पक्ष में भूमि का आवंटन किया गया है। अब उन्हीं के द्वारा आंवटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो विधि विरूद्व है तथा वरवक्त आवंटन अप्रार्थी के अतिरिक्त 10 अन्य व्यक्तियों के पक्ष में भूमि का आंवटन/नियमन किया गया था, किन्तु पटवारी हल्का द्वारा द्वेषतावश मात्र अप्रार्थी के विरूद्व झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत कर आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही करवाई जा रही है। नियम 14(4) के अन्तर्गत केवल ऐसे आवंटन को निरस्त किया जा सकता है जो Misrepresentation के आधार पर करवाया गया हों। प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य रेकार्ड पर उजागर नहीं हुए है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विवादित भूमि का नियमन पुराने कब्जे काश्त के आधार पर पूर्ण जांच पश्चात किया गया है। हम पैरोकार सरकार के इन कथनों से सहमत है कि भूमि का आवंटन सड़क के मध्य बिन्दु से 50 गज को छोड़ते हुए कार्यवाही करनी चाहिये। तहसीलदार केकड़ी को नियम 4(V)च का अवलोकन कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है, इसमें राजहित का ध्यान रखा जावे। आवंटन नियम विरूद्व हो तो पुनः नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना निस्तारित किया जाता है।

तहसीलदार केकड़ी को निर्देशित किया जाता है कि अन्य व्यक्तियों के पक्ष में हुए आवंटन/नियमन बाबत् पुनः मौके की जांच करावे तथा यदि उचित समझते हो तो उनके विरूद्व नियमानुसार नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रकरण प्रस्तुत करे।

आदेश आज दिनांक 04.01.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner